प्रेस नोट
जनपद– गोण्डा
दिनांक– 17-05-2026

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 16 अभियुक्त गिरफ्तार, ₹2,01,600/– नकद व ताश की 02 गड्डी बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व थाना वजीरगंज पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 16-05-2026 को उ0नि0 रणविजय सिंह मय हमराह पुलिस बल के ग्राम बहादुरा क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बहादुरा में सड़क किनारे सार्वजनिक स्थान पर कुछ व्यक्ति हार–जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए दबिश दी गई, जहां 16 व्यक्तियों को ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। मौके से मालफड़ के रूप में कुल ₹2,01,600/– नकद तथा 52 ताश के पत्तों की 02 गड्डी बरामद हुई। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों की जामा तलाशी से कुल ₹6,840/– नकद बरामद किये गये। बरामद समस्त धनराशि एवं ताश की गड्डियों को नियमानुसार कब्जे में लेकर सील किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना वजीरगंज में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. अभिनेश कुमार पुत्र शंकर पाल निवासी सहादतगंज थाना अयोध्या कैण्ट जनपद अयोध्या
02. रंजीत सोनकर पुत्र स्व0 मंगलदास निवासी सदर बाजार कैण्ट थाना कैण्ट जनपद अयोध्या
03. तोहिद अहमद पुत्र शफीक निवासी सिकन्दरपुर थाना परशरामपुर जनपद बस्ती
04. राजकरन पुत्र दीपचन्द निवासी जनंथरा घाट थाना कैण्ट जनपद अयोध्या
05. राजीव सक्सेना पुत्र दीनदयाल सक्सेना निवासी शिव कॉलोनी थाना खटीमा जनपद उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड
06. विष्णु पुत्र रामसूरत निवासी दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा
07. दीनानाथ मोदनवाल पुत्र पूरनप्रताप निवासी सिकन्दरपुर थाना परशरामपुर जनपद बस्ती
08. मंजय यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र यादव निवासी हलकारद पुरवा थाना अयोध्या कोतवाली जनपद अयोध्या
09. उमेश पुत्र स्व0 रामकुमार प्रसाद निवासी बेगमगंज गढ़ैया थाना कैण्ट जनपद अयोध्या
10. कामरान खान पुत्र मोहम्मद अख्तर निवासी दिलकुशा मोतीमहल थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या
11. दीपनारायण पुत्र स्व0 सुभरन यादव निवासी धोबहा मौजा बहादुरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा
12. वंश पाण्डेय पुत्र स्व0 राजकुमार पाण्डेय निवासी सुगरमिल गेह थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा
13. विकास सोनी पुत्र वंशीलाल सोनी निवासी हड्डीपुरवा सुगरमिल थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा
14. मोहम्मद नासिर पुत्र मोहम्मद नजरु निवासी जवाहर नगर (मनकापुर बाजार) थाना मनकापुर जनपद गोण्डा
15. जयनुल पुत्र मोहम्मद अकबर निवासी सदर बाजार कैण्ट थाना कैण्ट जनपद अयोध्या
16. अबरार पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी राठबेली थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–185/26, धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0 थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. ₹2,01,600/– नकद मालफड़
02. ₹6,840/– जामा तलाशी
03. 52 पत्तों की 02 गड्डी ताश

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 रणविजय सिंह
02. उ0नि0 प्रभाकर पाण्डेय
03. उ0नि0 राजदेव यादव
04. हे0का0 रोबिन सिंह
05. हे0का0 राजकरन यादव
06. हे0का0 विजय कुमार
07. हे0का0 इन्द्रपाल यादव
08. का0 सुशील सिंह
09. का0 आनन्द यादव
10. का0 शिवम पाल
11. का0 रजत सिंह
12. का0 अरविन्द यादव
13. का0 चन्देश वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 17.05.2026</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा क्षेत्राधिकारी कार्यालय तरबगंज में "सौर ऊर्जा संयंत्र" एवं "कर्तव्य वाटिका" किया गया उद्घाटनः–</u>

आज दिनांक 17.05.2026 को क्षेत्राधिकारी कार्यालय तरबगंज, जनपद गोण्डा में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय गोण्डा के सौजन्य से स्थापित "सौर ऊर्जा संयंत्र" एवं "कर्तव्य वाटिका" (101 औषधीय एवं फलदार वृक्ष) का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा किया गया।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत एवं हरित वातावरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में सौर ऊर्जा एवं वृक्षारोपण जैसी पहलें न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने "कर्तव्य वाटिका" में लगाए गए औषधीय एवं फलदार पौधों की सराहना करते हुए सभी को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने एवं उनकी देखभाल करने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी कार्यालय परिसर में लगाए गए 101 औषधीय एवं फलदार पौधों का अवलोकन किया गया तथा सौर ऊर्जा संयंत्र की कार्यप्रणाली की जानकारी भी प्राप्त की गई। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं ऊर्जा संवर्धन हेतु सामूहिक रूप से संकल्प लिया गया।

<u>इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री अजीत कुमार रजक, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश प्रभात सिंह, क्षेत्रीय प्रमुख उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक गोण्डा श्री राजकुमार द्विवेदी, मुख्य प्रबन्धक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा अमदही गोण्डा श्री देवव्रत गुप्ता सहित पुलिस विभाग एवं बैंक के अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 17.05.2026

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा कठउवा नहर पुलिया के पास वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त करन यादव पुत्र मुन्ना यादव उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी बेलवा सुल्तानजोत थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .32 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक17.05.2026 को उ0नि0 सत्य नारायण यादव मय हमराह के साथ कठउवा नहर पुलिया के पास संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आर्यनगर की तरफ से आ रही मोटर साइकिल को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम को देखकर वाहन चालक भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा घेराबंदी कर मौके पर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .32 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम करन यादव बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. करन यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी बेलवा सुल्तानजोत थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा .32 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–105/2025, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 सत्य नारायण यादव
02. हे0का0 सुनील प्रसाद मौर्य,
03. का0 पंकज प्रेमी
04. का0 रविशंकर खरवार

मीडिया सेल, गोण्डा।